प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 09.07.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 181/2026 धारा 69/352/351(3)/189(2) बीएनएस थाना बखिराजनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुदर्शन उर्फ शिवा पुत्र चन्द्रशेखर निवासी डबरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 09.07.2026 को निधुरी तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 21.05.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलने की आधार पर थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 महेन्द्र शर्मा, का0 आशुतोष यादव।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता सिकन्दर उर्फ रोहित पाण्डेय पुत्र कन्हैया उर्फ बालमुकुन्द पाण्डेय निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय, का0 सत्यप्रकाश , का0 मुकेश।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता सुवाष तिवारी पुत्र नरेश तिवारी निवास औरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5893 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 3 लोगों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत घोरखल के पास से कालर द्वारा ई-रिक्शा और स्कूटी के बीच में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 लोगो (1.विजय पुत्र रामसुरेश 2.शीला पत्नी ओमप्रकाश 3.पूनम पत्नी अभिषेक सा0 मुखलिसपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगो को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल लोगो को निज वाहन की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 बृजेश यादव, का0 प्रिंस यादव, हो0गा0चा0 अनिल पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 256 वाहनों से 2,56,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 256 वाहनों से 2,56,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर-इरादतन हत्या के मामले से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी-डंडे बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष दुधारा *श्री अमित कुमार कुशवाहा* के नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2026 को मु0अ0सं0 0271/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/105/3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) से संबंधित 03 नामजद अभियुक्तों नाम पता 01.अनिल कुमार पुत्र ज्ञान दास, 02.रोहित कुमार पुत्र राम सुभग, 03.राहुल कुमार पुत्र मोलहू प्रसाद निवासीगण टेकन्सी टेकन्सा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को पंचावा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना स्थल (अहिरौली तिराहा) के पास खेत से वारदात में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी के डंडे/फट्टा भी बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण व पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 23.06.2026 को अहिरौली तिराहे पर साधू पान की दुकान के पास अपने ही गांव के अजय कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद को लाठी-डंडों व

लात-मुक्कों से जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटा था। इसके बाद अभियुक्तों ने पीड़ित के घर जाकर भी दोबारा मारपीट की थी। सिर पर गंभीर चोट आने के कारण पीड़ित अजय कुमार कोमा में चले गए थे, जिनकी इलाज के दौरान दिनांक 07.07.2026 को मृत्यु हो गई। अजय कुमार की मौत की खबर सुनकर तीनों अभियुक्त आज जिले से बाहर भागने की फिराक में पंचावा मोड़ पर खड़े थे, तभी पुलिस टीम ने इन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण:

अभियुक्तों की निशानदेही पर अहिरौली तिराहे के पास खेत से 02 अदद लकड़ी के डंडे/फट्टे (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, उ0नि0 श्री सतीश कुमार तिवारी, हे0का0 रंजन कौशल, का० भूपेन्द्र दूबे का० सोनू यादव, का0 मनीष वर्नवाल, का० अरविन्द गौड, रि०का० रत्नेश अग्रहरी।

कैमूर बिहार राज्य स्थित घर से नाराज़ होकर निकली 02 नाबालिग बालिकाओं को थाना महुली पुलिस ने सुरक्षित परिजनों से मिलाया, 03 दिनों बाद परिजनों की लौटी मुस्कान

कई बार छोटी-सी नाराज़गी परिवारों को ऐसी चिंता में डाल देती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया, जब बिहार राज्य के जनपद कैमूर की 02 नाबालिग बालिकाएं घर से नाराज़ होकर बिना किसी को बताए निकल गई। वह विभिन्न स्थानों से होते हुए थाना महुली जनपद संतकबीरनगर क्षेत्र में पहुँच गई। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश कुमार पांडे* के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हुई। पुलिसकर्मियों ने बालिका को पूरी संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं विश्वास के साथ सुरक्षित संरक्षण में लिया। शांतिपूर्वक बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि वह पारिवारिक नाराज़गी के कारण घर छोड़कर चली आई थी।

थाना महुली पुलिस ने बिना विलंब किए उसके परिजनों एवं संबंधित जनपद कैमूर राज्य बिहार की पुलिस से संपर्क स्थापित किया। आवश्यक सत्यापन एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद परिजनों को थाना महुली बुलाया गया। जब परिजन थाना पहुँचे और अपनी बेटियों को सकुशल देखा तो उनकी आँखों से राहत और खुशी के आँसू छलक पड़े। 03 दिनों से व्याकुल परिवार ने बेटियों को सीने से लगाया और थाना महुली पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया।

यह घटना एक बार फिर सिद्ध करती है कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य ही नहीं करती बल्कि संकट की घड़ी में परिवारों की उम्मीद बनकर मानवीय संवेदनाओं का भी निर्वहन करती है।

थाना महुली पुलिस की अपील:

बच्चे परिवार की सबसे अनमोल धरोहर हैं। यदि किसी कारणवश घर में मतभेद या नाराज़गी हो जाए तो संवाद बनाए रखें और बच्चों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। वहीं यदि कोई बच्चा घर से लापता हो जाए या भटका हुआ मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। समय पर की गई सूचना किसी परिवार की खुशियाँ वापस ला सकती है।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 09.07.2026 को श्रीमान न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री मन्नन गुप्ता पुत्र दुबर गुप्ता निवासी करौंदा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 05.05.2012 को अभियुक्तगण 01. रामभवन पुत्र भगवान दास 02. भगवान दास पुत्र नरेश चौरसिया निवासीगण करौदा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध

मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री उमाशंकर तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 नं0 135/2012 धारा 323/504/506 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि/जुर्मस्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को कुल 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चाकू मारकर घायल करने के मामले में 01 अभियुक्त को 01 माह का कारावास व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 09.07.2026 को श्रीमान न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 01 माह के कारावास सजा व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री पप्पू कहार पुत्र सुरेश कहार निवासी औरही थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 21.02.2006 को अभियुक्त सुबाष तिवारी पुत्र नरेश तिवारी निवासी औरही थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी को चाकू मारकर घायल करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री गोकर्ण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 64/2006 धारा 324/504/506 भादवि थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि/जुर्मस्वीकार के आधार पर धारा 324 भा0द0वि0 के अपराध में 01 माह के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 500 रु0 के अर्थदण्ड व धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में 500 रु0 के अपराध से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।